सत्यमेव जयते

भारत सरकार / Government of India
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & industry
विकास आयुक्त का कार्यालय / Office of the Development Commissioner
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण / SEEPZ-SEZ Authority
अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (E), Mumbai - 400096
टेलि / Tel:- 022-28294770 फैक्स - 022-28291754
ई-मेल / E-mail:- emseepz-mah@nic.in / ddcseepz-mah@nic.in
वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in

सं.सीप्ज़-सेज़/संपदा/टीओटी/248/2016-17 / 12610 दिनांक 15.5.2018

निविदा आमंत्रण सूचना

विषयः- सीप्ज़ - सेज़ परिसर तथा सीप्ज़ आवासीय संकुल (सरकारी क्वार्टर), अंधेरी (पूर्व), मुंबई में सूखे पेड़ों को हटाने / कटवाने तथा बड़े पेड़ों की छंटाई के लिए निविदा ।

सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण सूखे पेड़ों के हटाने / कटवाने तथा बड़े पेड़ों की छंटाई करवाने के लिए वार्षिक आधार पर मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित करता है ।

➢ **कार्य का क्षेत्रः-**

1. यह संविदा सीप्ज़ - सेज़ परिसर में सूखे पेड़ों के हटवाने / कटवाने तथा बड़े पेड़ों की छंटाई तथा कटे हुए पेड़ों को हटवाने के लिए है ।
2. यह जिम्मेदारी हैः-
   क. सीप्ज़ - सेज़ परिसर तथा सीप्ज़ आवासीय संकुल में सूखे पेड़ों / शाखाओं की संख्या का पता लगाना तथा इसके लिए सर्वेक्षण करना ।
   ख. पेड़ों तथा उनकी शाखाओं की छंटाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति / अनुमोदन प्राप्त करना ।
   ग. काटी गई लकड़ियों तथा सीप्ज़ - सेज़ परिसर के बाहर इनके निर्धारित स्थान पर पहुंचाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करना ।
   घ. कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना ।
3. बोलीदाता को संविदा के सफल समापन के लिए आवश्यक श्रम, उपकरण उपलब्ध कराने होंगे ।
4. इस कार्य में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं । (क) निर्दिष्ट क्षेत्र में पेड़ों की पूरी कटाई, छंटाई तथा उनको वहां से हटवाना । (ख) सभी लकड़ियों का हटवाना । (ग) वाहनों में कटी लकड़ियों को लगवाना, उनका वजन करवाना तथा उनके वजन से संबंधित दस्तावेज संपदा प्रबंधक, सीप्ज़ - सेज़ को प्रस्तुत करना । (घ) उपर्युक्त गतिविधियों को पूरा करने के लिए सक्षम स्थानीय प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना ।

5. इस कार्य के चलते उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के अपशिष्टों को संविदाकार द्वारा अथवा सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार हटवाना / साफ करवाना ।

वृक्षों को हटवाना:- सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण काटे / छाटे जाने वाले प्रत्येक वृक्ष को चिन्हित करके विनिर्दिष्ट करेगा । हटवाए जाने को सुगम बनाने के लिए कोई अन्य वृक्ष न तो काटे जाएंगे और न ही छांटे जाएंगे । बोलीदाता को क्षेत्रों में प्रत्येक वृक्ष को हटाने के लिए पर्याप्त संख्या में श्रम एवं उपकरण लगाने होंगे । बोलीदाता को महाराष्ट्र राज्य वन विभाग की कार्य नियमावली के अनुसार व्यवहार करना होगा । वृक्षों के अचानक गिरने जैसी आपात स्थिति के दौरान वेंडर के लिए सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण से सूचना मिलने के 2 घंटे के अंदर उपस्थित होना आवश्यक होगा, ऐसा न करने पर 1000/-रू (एक हजार रू.) का अर्थदंड लगाया जाएगा ।

लकड़ी:- बोलीदाता सभी लकड़ियों के पूरी तरह से हटवाए जाने तथा निपटान किए जाने के लिए जिम्मेदार होगा । लकड़ियां सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित स्थान पर अस्थायी रूप से कम से कम एक दिन तक इकट्ठी की जा सकती है । सभी लकडियों का संविदागत अवधि के अंदर निपटान करना होगा, ऐसा न करने पर 1000/-रू (एक हजार रू.) का अर्थदंड लगाया जाएगा ।
अपशिष्टों का निपटान:- बोलीदाता कार्य से उत्पन्न होने वाली सभी सामग्रियों अथवा अपशिष्टों के निपटान के लिए जिम्मेदार होगा । सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण इसके लिए कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करेगा ।

अपशिष्टों का निपटान:- बोलीदाता सभी सामग्रियों अथवा कार्य से उत्पन्न अपशिष्टों के निपटान के लिए जिम्मेदार होगा । इसके लिए सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण किसी अतिरिक्त व्यय का भुगतान नहीं करेगा ।

उपकरण:- बोलीदाता के लिए कार्य के निष्पादन में मोबाइल क्रेन का उपयोग किया जाना आवश्यक होगा । इसके लिए उसे क्रेन मंगाने से पहले संपदा प्रबंधक, सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी । यदि इस कार्य के लिए पावर लाइनों के निकट यदि रिलायन्स एनर्जी से पावर लाइन क्लियरेन्स की आवश्यकता हो, तो उसे काफी समय पहले रिलायन्स एनर्जी से लाइन क्लियरेन्स की सुविधा का लाभ उठाने के लिए सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण को सुचित करना होगा ।

मजदूरी की दरें तथा श्रमिकों को भुगतान:- कार्य के लिए मजदूरों को नियोजित करते समय संविदाकार के लिए भुगतान तथा भुगतान से संबंधित सभी अधिनियमों तथा नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा । कामगार प्रतिकर अधिनियम के उपबंध भी संविदाकार के लिए बाध्यकारी होंगे तथा वह इस अधिनियम के तहत दुर्घटना की दशा में सभी भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा । संविदागत श्रम (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के उपबंध संविदाकार के लिए बाध्यकारी होंगे ।

**यदि संविदाकार द्वारा नियोजित श्रमिक सही नहीं पाए जाते हैं, तो संविदाकार को उन्हें स्थल से तत्काल हटाना होगा ।

दुर्घटनाए:- बोलीदाता को भारतीय संरक्षा मानकों का अवश्य अनुपालन करना होगा । व्यक्तिगत क्षति तथा सीप्ज़-सेज़ संरचना, सरकारी तथा निजी भूमि को हुए क्षति से संबंधित सभी दुर्घटनाओं

की सूचना संपदा प्रबंधक, सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण को देनी होगी । यदि कोई गंभीर दुर्घटना अथवा ऐसा कुछ घटित हो, तो इसकी विस्तृत रिपोर्ट संविदाकार द्वारा पुलिस प्राधिकारियों को तथा ऐसे व्यक्तियों के संबंधियों को जो दुर्घटनाग्रस्त हुए हों, अवश्य दी जाए तथा इनमें होने वाले खर्चों का वहन संविदाकार द्वारा किया जाए । बोलीदाता को सभी सांविधिक अनुपालन सुनिश्चित करने होंगे ।

➢ **<u>निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया:-</u>**

1. इच्छुक बोलीदाता को निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व सीप्ज़-सेज़ परिसर तथा सीप्ज़-सेज़ स्टाफ क्वार्टरों में स्थित सभी पेड़ों का विस्तृत सर्वेक्षण करना चाहिए ताकि बोली प्रस्तुत करते समय उसके मन में इसको लेकर किसी प्रकार का भ्रम न रहे । इस प्रयोजन के लिए वह संपदा प्रबंधक से किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे के बीच निविदा प्रस्तुत करने के पहले सीप्ज़-सेज़ परिसर में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त कर सकता है । **कृपया यह ध्यान रखें कि उपर्युक्त के अनुसार सर्वेक्षण किए बिना प्रस्तुत की गई बोली पर मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा तथा इसे अनर्ह समझा जाएगा ।**
2. लिफाफा जिसमें कोटेशन रखा हो, के ऊपर यह लिखा जाए **"सीप्ज़ - सेज़ परिसर तथा सीप्ज़ आवासीय संकुल (सरकारी क्वार्टर), अंधेरी (पूर्व), मुंबई में सूखे पेड़ों को हटाने / कटवाने तथा बड़े पेड़ों की छंटाई के लिए निविदा ।" लिफाफे पर एजेन्सी का नाम भी लिखा जाए ।**
3. लिफाफे में निम्नलिखित चीजें रखी जाएं:-

   क. वित्तीय कोटेशन में परिशिष्ट-क में यथाउल्लिखित निर्धारित फॉर्मेट में उक्त कार्य के लिए लागत संबंधी ऑफर दिया जाए ।

   ख. बयाना जमा राशि के रूप में मुंबई में देय सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण फंड के पक्ष में आहरित 25,000/- रू. (पच्चीस हज़ार रूपए) का डिमांड ड्राफ्ट ।

   ग. पैन तथा जीएसटी पंजीकरण की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां ।
4. निविदा विकास आयुक्त कार्यालय, सीप्ज़-सेज़, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400096 के भूमितल के निकट स्थित आवक अनुभाग में रखी निविदा पेटी में डाली जाए ।
5. शर्तों का अपेक्षित अनुपालन न किए जाने के कारण निविदा दस्तावेज़ अस्वीकृत किए जा सकते हैं तथा इस संबंध में किसी अपील/अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा ।
6. कोटेशन प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तारीख दिनांक 08.6.2018 को अपराह्न 02.30 बजे है जोकि बोलीदाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में उसी दिन सायं 4.00 बजे खोला जाएगा ।

➢ **<u>संविदा संबंधी निबंधन एवं शर्तें:-</u>**

1. सफल बोलीदाता के लिए निष्पादन प्रतिभूति के रूप में 1,00,000/- (एक लाख रू.) की राशि जमा करनी आवश्यक होगी ।
2. संविदा अवॉर्ड किए जाने की तारीख से एक (01) वर्ष के लिए होगी । संविदा के समाप्त होने के पश्चात बोलीदाता को निष्पादन के अधीन आगे विस्तार दिया जाएगा ।

3. सफल बोलीदाता को श्रम, उपकरण, प्रचालन सामग्री तथा वाहन के साथ ही प्रवेश करने दिया जाएगा । इसके बिना बोलीदाता को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी ।

4. बोलीदाता को निविदा सूचना के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने होंगे तथा बोली के साथ इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उसने निविदा सूचना के सभी निबंधन एवं शर्तों को अच्छी तरह पढ़कर समझ लिया है ।

5. यदि निविदा खोले जाने की तारीख को कार्यालय बंद हो अथवा उस दिन अवकाश हो, तो ऐसी दशा में निविदा अगले कार्य दिवस को उसी समय खोली जाएगी ।

6. **कार्य के लिए निविदा एकल बोली प्रणाली पर आधारित होगी ।**

7. बोलीदाता द्वारा लिफाफे में किसी वाणिज्यिक अथवा तकनीकी शर्तों अथवा किसी अन्य प्रकार के स्पष्टीकरण का उल्लेख नहीं किया जाएगा अन्यथा निविदा अस्वीकृत की जा सकती है ।

8. सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण उच्चतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा उसके पास बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी निविदाओं को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।

9. बोलीदाता को उक्त अवधि की समाप्ति के पहले अपनी निविदा को वापस लेने अथवा उसमें आशोधन करने अथवा उनके निबंधन एवं शर्तों में कोई परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

10. उक्त अवधि के अंदर वापस लिए जाने अथवा आशोधन किए जाने को संविदा भंग माना जाएगा तथा बोलीदाता सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति के लिए दायी होगा तथा इसके चलते उसकी बयाना जमा राशि भी जब्त की जा सकती है ।

11. इस संविदा के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशा में आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि विकास आयुक्त, सीप्ज़ *- सेज़, मुंबई की मध्यस्थता के लिए इन्हें भेजा जाएगा ।

12. करार से संबंधित अथवा इसके कारण किसी भी रूप में उत्पन्न होने वाले सभी विवादों के संबंध में यह समझा जाएगा कि ये मुंबई में ही उत्पन्न हुए है तथा मुंबई स्थित न्यायालयों को ही इनके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है ।

13. कोई भी निविदा जिसमें निर्धारित शर्तों में कोई परिवर्तन किए जाने अथवा अन्य किसी विवरण से संबंधित शर्तों में परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव हो, अस्वीकृत किया जा सकता है ।

14. बोलीदाता को निविदा प्रस्तुत किए जाने के पहले सभी सुधारों पर आद्याक्षर करना होगा तथा निविदा दस्तावेज़ों के सभी पृष्ठों तथा इनके साथ संलग्न सभी अन्य कागजपत्रों पर हस्ताक्षर करन होगा ।

15. बोलीदाता द्वारा शब्दों में दिए गए विवरण तथा कोट किए गए दरों के अंकों में अंतर होने की दशा में शब्दों में कोट की गई दरें ही मान्य होंगी ।

16. प्रत्येक बोलीदाता अपनी बोली प्रस्तुत करने के पहले प्रस्तावित कार्य का अपना प्राक्कलन स्वयं बनाए तथा निर्दिष्ट कार्य पूरा करते हुए स्थानीय स्थितियों के बारे में

अपने स्तर पर जांच करके स्वयं का समाधान कर ले । यदि स्थल स्थितियों के संबंध में संविदा में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के बारे में यदि उसको की भ्रम हो, तो उसे सलाह दी जाती है कि वह पहले स्थल तथा क्षेत्र का निरीक्षण कर ले जहां उसे पेड़ों की कटाई करनी है । इस कार्य के लिए वे स्वीकृतिदाता अधिकारी से पहले मिलने का समय निश्चित करके पर्याप्त समय ले सकते हैं ।

17. संपदा प्रबंधक, सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेकर वे परिसर में स्थल का निरीक्षण **प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे** के बीच केवल कार्य दिवस के दिन ही कर सकते है ।

18. बोलीदाता द्वारा निविदा का प्रस्तुत किया जाना इस बात का संकेत है कि उसने इस सूचना को तथा संविदा की शर्तों को पढ़ लिया है तथा वह इस निविदा के कार्य क्षेत्र, स्थानीय स्थितियों तथा अन्य कारकों से स्वयं को अवगत करा लिया है ।

19. राज्य सरकार / सांविधिक निकायों / उद्यमों / उपक्रमों आदि सहित सभी वेंडरों के लिए बकाया जमा राशि अनिवार्य है, ऐसा न करने पर निविदा अस्वीकृत की जा सकती है ।

20. यदि संविदाकार / फर्म कोट करने के पश्चात निविदा वापस लेते हैं अथवा कार्य प्रारंभ करने से इनकार करते हैं / इसमें विलंब करते हैं अथवा अचानक कार्य बंद कर देते हैं, तो यथास्थिति उनकी बयाना धन राशि / प्रतिभूति जमा राशि जब्त की जा सकती है ।

21. बोलीदाताओं को यदि चाहें तो निविदा खोले जाने के समय उपस्थिति रहने के लिए अपने प्रतिनिधियों को प्राधिकृत कर सकते हैं । तथापि, ऐसे प्रतिनिधियों को बोलीदाताओं द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा तथा उनके हस्ताक्षर विधिवत अनुप्रमाणित किए जाएंगे ।

22. बोलीदाता / विक्रेता के कामगारों को संरक्षा तथा सुरक्षा विनियमों सहित नियमों तथा विनियमों का अनुपालन करना होगा । उनके कामगारों तथा उपकरणों को गेट पास के आधार पर ही कार्य के लिए भीतर प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी तथा गेट पास के लिए उन्हें कार्य प्रारंभ करने के पर्याप्त समय पहले आवेदन करना होगा ।

23. बोलीदाता / विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि उनके कामगार परिसर क्षेत्र में यहां वहां घूमते - फिरते न रहें । वे सिवाय ऐसी सामग्रियों के जो उन्हें ऑफर की गई हो / बेची गई हो, अन्य किसी सामग्री को हाथ नहीं लगाएंगे । यदि उनका कोई कामगार इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो विक्रेता इसके चलते स्वामी को होने वाली हानी की भरपाई करेगा तथा इस मामले में स्वामी का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा ।

24. कोट की जाने वाली कीमतों में सभी लागत जैसे श्रम, हितलाभ, उपकरण, प्रचालन सामग्रियां तथा वृक्षों के परिवहन शामिल होंगे ।

25. **<u>भुगतान संबंधी अनुसूचीः-</u>** बोली के अंतिम रूप से स्वीकृत किए जाने की स्थिति में विक्रेता के लिए सामग्रियों के हटाए जाने के पर्याप्त समय रहते क्रय प्रतिफल की शेष राशि का भुगतान किया जाना आवश्यक होगा । इस प्रकार भुगतान की गई राशि का समायोजन प्रत्येक दिन स्थल से हटाए जाने वाली सामग्री की वास्तविक मात्रा के आधार

पर किया जाएगा । काटे जाने वाले पेड़ों को हटाए जाने की अनुमति तभी तक दी जाएगी जब तक प्राधिकरण के पास पर्याप्त अग्रिम भुगतान उपलब्ध होगा ।

26. संविदा प्राप्तकर्ता द्वारा निविदा के निबंधन एवं शर्तों के पूरा न किए जाने तथा कार्य - क्षेत्र के अनुसार कार्य न किए जाने की स्थिति में सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण को अर्थदंड लगाने, प्रतिभूति जमा जब्त किए जाने / अथवा तत्काल प्रभाव से संविदा को रद्द किए जाने का अधिकार होगा ।

27. बोलीदाता की आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए । इस संबंध में बोलीदाता को विधिवत नोटरीकृत 100/- रू. के स्टैंप पेपर पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(महेश यादव)
संपदा प्रबंधक
सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण

<u>परिशिष्ट - क</u>

सीप्ज़ - सेज़ परिसर के सूखे पेड़ों को हटाए जाने तथा बड़े पेड़ों की छंटाई के लिए वित्तीय बोली ।

क्रम संख्या	विवरण	लागत (मासिक)	लागत (वार्षिक)
1	सीप्ज़ - सेज़ परिसर तथा सीप्ज़ आवासीय संकुल (सरकारी क्वार्टर), अंधेरी (पूर्व), मुंबई में सूखे पेड़ों को हटाने / कटवाने तथा बड़े पेड़ों की छंटाई के लिए निविदा		

प्रतिमाह लागत रूपयों में (शब्दों में):- ______________________________

____

प्रतिवर्ष लागत रूपयों में (शब्दों में):- ______________________________

____

*** प्रस्तुत की जाने वाली कीमतों में श्रम, हितलाभ, उपकरण, प्रचालन सामग्री, कटे वृक्षों के परिवहन आदि के सभी खर्चे शामिल किए जाएं ।**

**** चूंकि सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण को आइजीएसटी के भुगतान से छूट प्राप्त है, अतः संविदा प्राप्तकर्ता को आइजीएसटी देय नहीं होगा ।**

तारीखः- ____________

बोलीदाता के हस्ताक्षर सील के साथ

भारत सरकार / Government of India,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry,
सीप्ज़ – विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण / SEEPZ-SEZ Authority,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (E), Mumbai – 400 096
टेलि / Tel.: 022-28294770 फैक्स / Fax: 28291754,
ईमेल- / E-mail: ddcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in

सत्यमेव जयते

No. SEEPZ-SEZ/ESTATE/TOT/248/2016-17/12610 **Dated 15.05.2018**

NOTICE INVITING TENDER

Sub: Tender for removal/cutting of dead trees and trimming of grown trees at SEEPZ-SEZ campus as well as SEEPZ Residential Complex (Govt. Quarters), Andheri (E), Mumbai.

The SEEPZ-SEZ Authority invites sealed quotations for removal/cutting of dead trees and trimming of grown trees on yearly basis.

➢ SCOPE OF WORK:

1. The contract is for removal / cutting of dead trees and trimming of grown trees cutting / Removal of cut trees at SEEPZ-SEZ campus.
2. It is the responsibility to :
   a. conduct survey of SEEPZ SEZ premises and SEEPZ Residential complex for identifying number of dead trees / branches.
   b. obtain necessary permission / approvals from the competent authority for Trimming of trees and branches.
   c. make suitable arrangement for removal of cut down wood and transportation of the same to the designated places, outside SEEPZ premises.
   d. obtain necessary approvals required for undertaking the activities prescribed from competent authority covered under scope of work.
3. Bidder will supply necessary labour, equipments for successful completion of the contract.
4. The work consists of following activities. (a) Complete cutting, trimming and clearing of the trees in the designated area. (b) The removal of all wood. (c) Loading of cut wood in to the vehicles, making weighment and submission of weighment document to the Estate Manager, SEEPZ-SEZ

Authority (d) Obtaining necessary approvals required for undertaking the activities prescribed above, from competent Local Authorities.

5. All kind of wastes generated from this work, shall be removed / cleared by the contractor and or directed by the SEEPZ-SEZ Authority.

Tree removals: SEEPZ-SEZ Authority will mark and specify every individual tree to be cut or trim. No other trees shall be cut or trimmed to facilitate removal. The bidder shall supply a sufficient amount of labour and equipment to remove each tree in sections. The bidder must follow practices as per Maharashtra state Forest Department Work Manual. During any emergency in case of fallen down of the trees, the vendor will required to be present within 2 hrs. from receiving intimation from the SEEPZ SEZ Authority, failing which a penalty of Rs. 1000/- (Rupees One Thousand only) will be imposed.

Wood: The bidder shall be responsible for the complete removal and disposal of all wood. Wood may be temporarily stored up to maximum of ONE (1) day – on location approved by SEEPZ-SEZ Authority. All the wood shall be disposed of within the contractual period, failing which penalty of Rs. 1,000/- (Rupees One Thousand only) will be imposed.

Disposal of Waste: The bidder shall be responsible for disposal of all materials or waste resultant from the work, at no extra expense to the SEEPZ-SEZ Authority.

Equipment: The bidder may be required to use a mobile crane in the performance of the operation. The bidder should take permission from Estate Manager, SEEPZ-SEZ Authority before mobilizing the crane. In case any power line clearance required from RELIANCE ENERGY when operating near the power lines, the contractor must inform SEEPZ-SEZ Authority well in advance to avail line clearance from RELIANCE ENERGY.

Labour Rates & Labour Payments: All the Acts and Rules regarding payment and other conditions of employing labour on the work shall be binding on the contractors. The provisions of Workmen's Compensation Act are also binding on the contractor who shall be responsible for making all payments due under the Act, in case of accident. The provisions of Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970 are binding on the contractor.

*****If the labour employed by the contractor is not found up to the mark, the contractor shall have to remove him/her from the site immediately.***

Incidents: The bidder must comply with Indian Safety Standards. All incidents with respect to personal injury, damage to SEEPZ-SEZ infrastructure, public

and private lands & properly and the environment are to be reported to Estate Manager, SEEPZ-SEZ Authority. Should any accident, fetal or otherwise occur, a detailed report about the same shall be made promptly by the contractor to Police Authorities and relatives of the persons who met with the accident and all cost involved therein shall be borne by the contractors. The bidder shall comply with all statutory compliances.

➢ **PROCEDURE FOR SUBMISSION OF TENDER:**

1. The interested bidder should conduct a detailed survey of trees in SEEPZ SEZ premises and SEEPZ Staff Quarters, before submitting the tender to enable him to submit the proper bid and to avoid any confusion. For this purpose, he may contact the Estate Manager for obtaining permission to enter into SEEPZ premises on any working day between 10:00 am to 5:00 pm before submitting the tender. **It may please be noted that the bid submitted without carrying out the survey as stated above, will not be considered for evaluation and will be disqualified.**
2. The envelope containing quotation shall be super scribed as **"Tender for removal / cutting of dead trees and trimming of grown trees at SEEPZ-SEZ campus as well as SEEPZ Residential Complex (Govt. Quarters)"**. Name of the agency should be mentioned on the envelope.

3. The envelope shall contain following:-
   a. Financial quote shall indicate costs offered for said work in prescribed format as indicated in Annexure-A.
   b. Demand Draft of **Rs. 25,000/- (Rupees Twenty-five thousand only)** in favour of **"SEEPZ-SEZ Authority Fund"** payable at **Mumbai** as Earnest Money Deposit.
   c. Self certified copies of PAN and GST Registration.

4. The tender shall be deposited in the tender box kept at ground floor near Inward Section of Development Commissioner's Office, SEEPZ-SEZ, Andheri (E), Mumbai – 400 096.

5. Non-adherence to the requisite compliance with regard to the conditions, will result into rejection of the tender document and no appeal / request will be entertained.

6. Last date for submission of quotation is 08/06/2018 till 2:30 p.m. and same will be opened at 4:00 p.m. on same day in the presence of bidders or their representatives.

➢ TERMS & CONDITIONS OF CONTRACT:

1. The successful bidder will be required to deposit an amounting to Rs. 1,00,000/- (Rupees One lakh) as Performance Security.
2. The tender shall be awarded for a period of One (01) year from the date of award of contract. After expiry of the contract, further extension will be granted, subject to the performance of the bidder.
3. Successful bidder will be permitted to enter only along with Labour, equipments, operating materials and vehicle, without these, the bidder will not be permitted to enter in to the campus.
4. Bidders shall sign each and every page of the tender notice and submit with the bid, in token of having understood the terms and conditions of the tender notice.
5. If the date of opening of tender happens to be closed or Holiday, the tender will be opened at the same time on the following working day.
6. **The tender for the work will be based on single bid system.**
7. No commercial or technical conditions or clarification of any sort shall be indicated by the bidder in envelope otherwise, the tender shall be liable to be rejected.
8. SEEPZ-SEZ Authority shall not be bound to accept the highest tender and reserves the right to reject any or all the Tenders without assigning any reason.
9. The bidder shall not have the liberty to withdraw or modify his tender or any terms and conditions thereof before the expiry of said period.
10. Any withdrawal or modification made within the said period constitutes breach of contract and the bidder shall be liable for damages to the SEEPZ SEZ Authority and will result into forfeiture of Earnest Money Deposit.
11. In the event of any dispute arising in connection with this contract, it is further agreed that disputes shall be referred to the arbitration of a DC, SEEPZ-SEZ, Mumbai.
12. All disputes arising out of or in any way connected with the agreement shall be deemed to have arisen at Mumbai and only courts in Mumbai shall have jurisdiction to determine the same.

13. Any tender which propose any alterations to any of the conditions laid down or proposes any other conditions of any description whatsoever is liable to be rejected.

14. Bidder shall initial all correction; sign all pages of the tender documents and all the drawing accompanying the tender document before submission of the tender.

15. In the event of any discrepancy between description in words and figures of rate quoted by the bidder, the rate quoted in words shall prevail.

16. Each bidder must make his own estimate for the proposed work before submitting his bid and must satisfy himself by personal examinations as to the local conditions to be met while completing the specified work. He is not claim at any time after the submission of his bid that there was any misunderstanding of the terms and conditions of the contract relating to the site conditions. The bidders are advised to visit site & inspect the area where tree cutting needs to be carried out by making prior appointment with the Accepting Officer giving sufficient time.

17. The site may be inspected at the Campus between ***10.00 a.m. to 5.00 p.m.*** on only working day with the prior permission of the Estate Manager, SEEPZ-SEZ Authority.

18. The submission of a tender by a bidder implies that he has read this notice and the condition of contract and has made himself aware of the scope of this tender, local condition and other factors.

19. Earnest Money Deposit is compulsory for all the vendors including State Government / Statutory Bodies / Enterprises / Undertakings etc., failing which, tender will be rejected.

20. In case, the contractor/firm after quoting withdraw from the tender or refuse/delay in commencing the work or stop the work abruptly, their EMD/ SD, as the case may be, will be forfeited.

21. The bidders shall depute their authorized representative at the time of opening the tender if they so desire. However such representatives shall be issued with authorization letter by the bidders with the signature of representative duly attested.

22. The bidder / purchaser's workmen shall have to abide by the rules and regulations including safety and security regulations. Entry inside the works

would only be against Gate Pass for his men and equipment for which purchaser will have to apply in advance before commencement of deliveries.

23. The bidder / purchaser shall ensure that his workmen do not loiter around within the campus area. They shall not touch any material except the materials offered/sold to them. If any of his / their workmen even found violating these restrictions, the purchaser shall be responsible for making good the loss to the owner on which owner's decision shall be final and binding.

24. The prices submitted be inclusive of all costs doing the, including, Labour, benefits, equipment, operating materials, transportation of cut trees.

25. **PAYMENT SCHEDULE**:- Where a bid has been finally accepted the purchaser shall be required to pay the balance of the purchase consideration has to be made in advance before lifting materials. The amount paid shall be adjusted against actual quantity of material removed from site each day. Removal of cut trees is allowed if sufficient advance payment is available with Authority.

26. In the event of non-fulfillment of the terms and conditions of the tender as well as non-adherence to the scope of work, by the awardee of contract, SEEPZ-SEZ Authority shall have the liberty to impose the penalty, forfeiture of security deposit / earnest money deposit and / or cancel the contract with immediate effect.

27. Bidder should not have any criminal background. In this regard, bidder have to submit an affidavit on Rs. 100/- stamp paper duly notarized.

(Mahesh Yadav)
Estate Manager,
SEEPZ-SEZ Authority

ANNEXURE - A

FINANCIAL BID FOR REMOVAL OF DEAD TREES AND TRIMMING OF GROWN TREES AT SEEPZ-SEZ CAMPUS

Sr. No.	Particulars	Cost (monthly)	Cost (yearly)
1	Tender for removal of dead trees and trimming of grown trees at SEEPZ-SEZ premises as well as SEEPZ Residential Complex (Govt. Quarters)		

Cost per month (in words) Rupees______________________________________

____.

Cost per annum (in words) Rupees______________________________________

____.

* Prices submitted be inclusive of all costs doing the, including, labour, benefits, equipment, operating materials, transportation of cut trees etc.

** Since the SEEPZ SEZ Authority is exempted from the payment of IGST, no IGST is payable to the awardee.

Date: ____________ Signature of the bidder with seal